सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	चैत्र 15, बुधवार, शाके 1945-अप्रेल 05, 2023 *Chaitra 15, Wednesday , Saka 1945- April 05, 2023*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

वित्त विभाग

(नियम) अनुभाग

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 09, 2022

जी.एस.आर.06 :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 को और संशोधित करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) (चौथा संशोधन) नियम, 2022 है।

(2) ये तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

2. **अनुसूची-VI का संशोधन.**- राजस्थान सिविल सेवा(पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 से संलग्न अनुसूची-VI के क्र.सं.10 पर विद्यमान खण्ड के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"यदि वित्तीय उन्नयन एसीपी के अधीन आस्थगित हो जाता है और 7 वर्ष की संतोषजनक एपीएआर की अनुपलब्धता या एपीएआर में प्रतिकूल टिप्पणियों के कारण अथवा राजस्थान सिविल सेवा (सीसीए) नियम, 1958 के नियम 17 के अधीन शास्ति के कारण अनुज्ञात नहीं किया जाता है, तो पश्चात्वर्ती वित्तीय उन्नयन के अनुदान पर उसके पारिणामिक प्रभाव नहीं होंगे :

परन्तु राजस्थान सिविल सेवा (सीसीए) नियम, 1958 के नियम 16 के अधीन शास्ति के कारण एसीपी आस्थगित होती है तो पश्चात्वर्ती वित्तीय उन्नयन पर उसके पारिणामिक प्रभाव होंगे जिससे वह भी पूर्व वित्तीय उन्नयन की मंजूरी में विलम्ब के विस्तार तक आस्थगित हो जायेगा।"

[सं. एफ.15(88)एफडी/रूल्स/2017]

राज्यपाल के आदेश से,

रोहित गुप्ता,

शासन सचिव, वित्त (बजट)।

FINANCE DEPARTMENT
(RULES DIVISION)
Notification
Jaipur, December 09, 2022

G.S.R.06 .-In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan is pleased to make the following rules further to amend the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 2017, namely:-

1. **Short title and commencement**.- (1) These rules may be called the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) (Fourth Amendment) Rules, 2022.

(2) They shall come into force with immediate effect.

2. **Amendment of Schedule-VI.-** Existing clause at S.No.10 of Schedule-VI appended to the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 2017 shall be substituted, by the following, namely,.-

"If a financial upgradation under the ACPS is deferred and not allowed due to non-availability of 7 years' satisfactory APAR or adverse remarks in the APAR or due to penalty under Rule 17 of Rajasthan Civil Services (CCA) Rules, 1958, would not have consequential effect on grant of subsequent financial upgradation:

Provided that ACPS is deferred due to penalty under Rule 16 of the Rajasthan Civil Services (CCA) Rules, 1958, would have consequential effect on the subsequent financial upgradation which would also get deferred to the extent of delay in grant of previous financial upgradation."

[No. F. 15(88)FD/Rules/2017]
By order of the Governor,

Rohit Gupta,
Secretary, Finance (Budget).

Government Central Press, Jaipur.